(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 58 / 2015–2020

नई दिल्ली, दिनांक: 12 फरवरी, 2021

विषयः विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के अध्याय–1 और अध्याय–2 के तहत आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी) से संबंधित प्रावधानों में संशोधन।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के अध्याय–1 और अध्याय–2 के तहत आईईसी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करती है।

2. विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के निम्नलिखित पैराओं को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

मौजूदा पाठ	**संशोधित पाठ**
1.11 ई–आईईसी (इलैक्ट्रॉनिक आयातक–निर्यातक कोड) जारी करना।	**1.11** ई–आईईसी (इलैक्ट्रॉनिक आयातक–निर्यातक कोड)
(क) इस नीति के पैरा 2.05 में यथा वर्णित भारत से/में निर्यात/आयात के लिए आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) अनिवार्य है। विदेश व्यापार महानिदेशालय इलेक्ट्रॉनिक फार्म में आयातक निर्यातक कोड (ई–आईईसी) जारी करता है। ई–आईईसी जारी करने के लिए डीजीएफटी के वेबसाइट (http//:dgft.gov.in) पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और नेट बैंकिग के माध्यम से अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तथापि, आवेदक डिजिटल रुप में विधिवत रुप से हस्ताक्षरित आवेदन प्रस्तुत करेगा।	(क) इस नीति के पैरा 2.05 में यथा वर्णित भारत से/में निर्यात/आयात के लिए आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) अनिवार्य है। विदेश व्यापार महानिदेशालय इलेक्ट्रॉनिक फार्म में आयातक निर्यातक कोड (ई–आईईसी) जारी करता है। ई–आईईसी जारी करने के लिए डीजीएफटी के वेब पोर्टल (http//:www.dgft.gov.in) पर सीधे आवेदन किया जा सकता है।
2.05 आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी)	**2.05** आयातक–निर्यातक कोड **(आईईसी) / (ई–आईईसी)**
(ग) आईईसी के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रुप से ऑनलाइन है और प्रक्रिया पुस्तक में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आवेदक द्वारा आईईसी प्राप्त किया जा सकता है।	(ग) आईईसी के लिए आवेदन प्रक्रिया और आईईसी में अद्यतनीकरण पूर्ण–रुप से ऑनलाइन है और प्रक्रिया पुस्तक में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आवेदक द्वारा आईईसी प्राप्त किया जा सकता है।

3. विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के अध्याय–2 के पैरा 2.05 के तहत निम्नलिखित उप–पैरा निम्नानुसार शामिल किए जाते हैं:

एफटीपी पैरा सं.	जोड़ा गया पाठ (नया)
2.05 (घ)	एक आईईसी धारक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके आईईसी में विवरण प्रत्येक वर्ष, अप्रैल–जून अवधि, के दौरान इलैक्ट्रोनिक रुप से अद्यतन किए जाएं। ऐसे मामलों में, जहां आईईसी के विवरण में कोई परिवर्तन न हो तो इसकी भी ऑनलाइन पुष्टि किए जाने की आवश्यकता हेाती है।
2.05 (ड.)	एक आईईसी को निष्क्रिय किया जाएगा, यदि उसे निर्धारित समय में अद्यतन नहीं किया जाता है। एक निष्क्रिय किए गए आईईसी को उसके सफल अद्यतनीकरण होने पर सक्रिय किया जा सकता है। हालांकि, इसमें एफटीपी के किसी भी अन्य प्रावधानों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
2.05 (च)	एक आईईसी को जांच के लिए भी चिन्हित किया जा सकता है। आईईसी धारक (धारकों) को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सिस्टम द्वारा जिन जोखिमों को चिन्हित किया गया है उनका समय पर निराकरण किया जाए; अन्यथा आईईसी निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

4. विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के उप पैराओं 1.11 (ख), 1.11 (ग) और 1.11 (घ) को हटा दिया गया है।

इस अधिसूचना का प्रभावः विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के अध्याय–1 और अध्याय–2 में आईईसी संबंधी प्रावधानों को संशोधित किया/हटाया गया है और इसमें नए प्रावधानों को शामिल किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित यादव
12/02/2021
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

(फा.सं. 01/93/180/32/एएम–19/पीसी–2(बी)/भाग–I/ई–21759 से जारी)